न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा
2. प्रकरण संख्या : 42/2020
3. उनवान : सरकार जरिये कुशाल बिलाला, प्रवर्तन अधिकारी

बनाम

1. मेसर्स चांदमाकलां ग्राम सेवा सहकारी समिति चांदमाकलां उपखण्ड फागी। थाना फागी
2. श्री सुरेश चौधरी व्यवस्थापक, चांदमाकलां ग्राम सेवा सहकारी समिति चांदमाकलां उपखण्ड फागी। थाना फागी

4. निर्णय दिनांक : 28/08/2024
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
   ब) अधिवक्ता श्री महेश चन्द जैन अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से।

Court to the Addl. Collector & Addl. District Magistrate-III • JAIPUR •

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी, श्री कुशाल बिलाल, राजेश बंसल व प्रवर्तन निरीक्षक निशांत पंचौली द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 10–10–2017 और 11.10.2017 को ग्राम पंचायत चांदमाकलां में उचित मूल्य दुकानदार मेसर्स ग्राम सेवा सहकारी समिति, चांदमाकलां का निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण समिति परिसर पर उचित मूल्य दुकान का टाइटल बोर्ड और नियंत्रित मूल्य वस्तुओं का स्टॉक व मूल्य सूची बोर्ड प्रदर्शित नहीं मिला। दुकान पर खाद्य सुरक्षा लाभार्थियों की सूची नहीं मिली। डीलर को 1 सितंबर 2016 से वक्त जांच तक वितरण के लिए 9600 लीटर केरोसीन की आपूर्ति हुई जबकि पोस मशीन से कुल वितरण 9528 लीटर किया गया। इस प्रकार 72 लीटर केरोसीन शेष होना चाहिए था जबकि भौतिक सत्यापन में 20.5 लीटर केरोसीन उपलब्ध मिला। डीलर को 1 सितंबर 2016 वक्त निरीक्षण तक कुल 2350 किग्रा. चीनी की आपूर्ति हुई जबकि पोस मशीन से कुल 2311.20 किग्रा. का वितरण हुआ। इस प्रकार कुल 38.8 किग्रा. होनी चाहिए थी जबकि भौतिक सत्यापन में 262.50 किग्रा. चीनी उपलब्ध मिली जो कि अंतिम अवशेष से 223.850 किग्रा. अधिक है। मौके पर एक उपभोक्ता ने बताया कि उसे 17 माह के पेटे केवल 15 किलो गेहूं दिया गया जबकि उसके मोबाईल पर 30 किग्रा. गेहूं का संदेश आया। समिति को बताने पर टालमटोल के बाद 15 किग्रा. गेहूं और दिया गया। इसी प्रकार एक अन्य उपभोक्ता ने बताया कि उसे व उसके भाई को माह सितंबर 2017 का गेहूं नहीं दिया गया। सहकारी समिति के व्यवस्थापक द्वारा इस संबंध में कोई सतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया। ऐसी स्थिति में 223.850 किग्रा. चीनी मय बारदाना को जब्त किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ पर्चा मौका, सुपुर्दगीनामा, पर्चा पूछताछ आदि की प्रति पेश कर निवेदन किया है कि जब्त वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) के तहत राजसात करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को नोटिस सम्यक रुप से तामील है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री महेश चन्द जैन एवं उनके सहअधिवक्ता उपस्थित हुए। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से दिनांक 23.04.2024 को नोटिस का प्रत्युत्तर व लिखित अभ्यावेदन पेश किया गया जिसमें अंकित है कि नोटिस से स्पष्ट नहीं है कि किस आदेश का उल्लंघन या अतिक्रमण किया गया है। प्रकरण में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट में पुलिस ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट में अंकित किया कि दुकान पर वक्त निरीक्षण दुकान का टाईटल बोर्ड सूची बोर्ड प्रदर्शित मिला, जो कि पुराना बनाया हुआ भी प्रतीत नहीं होता है। अप्रार्थी ने बताया कि खाद्य सुरक्षा लाभार्थियों की सूची दुकान पर उपलब्ध थी। रिकार्ड, बिलों एवं पोस मशीन की डिटेल के आधार पर कुल 9548 लीटर केरोसीन आना पाया गया एवं 9528 लीटर केरोसीन वितरित किया हुआ है। इस प्रकार 20 लीटर केरोसीन शेष रहा और भौतिक सत्यापन में 20.05 लीटर केरोसीन पाया गया।

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

इस प्रकार प्रार्थी द्वारा अंकित तथ्य कि 51.50 लीटर केरोसीन कम मिला यह तथ्य अनुसन्धान में सही नहीं पाया गया। अप्रार्थी के पास 223.850 किग्रा. चीनी अधिक पाये जाने के संबंध में तफ्तीश में पाया गया कि राशन डीलर द्वारा दिनांक 01.08.2016 को 223.600 किग्रा. चीनी का इन्द्राज किया हुआ है। दौराने जांच अप्रार्थी ने जांच दल को बताया कि समिति का पूर्व स्टॉक रजिस्टर एस.डी.एम. कार्यालय में ऑडिट के लिए गया हुआ है। इस आधार पर 262.600 किग्रा. चीनी उपलब्ध मिली है जो रिकॉर्ड के आधार पर सही है। अप्रार्थीगण का प्राधिकार पत्र निरस्त तथा सम्पूर्ण धरोहर राशि रुपये 250/– जब्त करने के आदेश जिला रसद अधिकारी द्वारा पारित किया गये। जिसके विरुद्ध अपील करने पर माननीय जिला कलक्टर, जयपुर द्वारा जिला रसद अधिकारी द्वारा पारित निर्णय को अपास्त कर दिया। पुलिस ने उक्त प्रकरण को झूठा मानकर अपनी अन्तिम रिपोर्ट माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर दी है तथा दिनांक 03.04.2019 को माननीय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जयपुर ने उक्त अन्तिम रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। जिससे अप्रार्थीगण आरोपों से दोषमुक्त हो चुके हैं। इसलिये उक्त कार्यवाही ड्रॉप कर अभिगृहीत चीनी या उसकी विक्रित राशि मय ब्याज अप्रार्थीगण को वापिस दिलाया जाना आवश्यक व न्यायसंगत है।

पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। आप्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। अप्रार्थी को बारम्बर आवाज दिलाई गई बावजूद कोई उपस्थित नहीं। अनेक अवसर वास्ते बहस दिये जा चुके है। अब ओर अवसर देना न्यायोचित नहीं है। प्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा विभागीय प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए जब्त माल को राजसात करने का निवेदन किया। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 20.08.2024 को आदेश हेतु रखी गई।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का अवलोकन व मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दिनांक 10–10–2017 और 11.10.2017 को ग्राम पंचायत चांदमाकलां में उचित मूल्य दुकानदार मेसर्स ग्राम सेवा सहकारी समिति, चांदमाकलां परिसर पर स्टॉक रजिस्टर व पोस मशीन के रिकार्ड के अनुसार आमद व वितरण के पश्चात शेष चीनी की मात्रा भौतिक सत्यापन में 223.850 किग्रा. अधिक मिली। मौके पर एक उपभोक्ता ने बताया कि उसे 17 माह के पेटे केवल 15 किलो गेहूं दिया गया जबकि उसके मोबाईल पर 30 किग्रा.गेहूं का संदेश आया। समिति को बताने पर टालमटोल के बाद 15 किग्रा. गेहूं और दिया गया। इसी प्रकार एक अन्य उपभोक्ता ने बताया कि उसे व उसके भाई को माह सितंबर 2017 का गेहूं नहीं दिया गया। उपभोक्ताओं ने लिखित बयान दिया जिस पर उनके हस्ताक्षर भी उपलब्ध हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि उचित मूल्य की दुकान पर स्टॉक में गडबडी कर हेराफेरी की जा रही थी। अप्रार्थी द्वारा जवाब में अंकित किया गया कि उसके द्वारा दिनांक 01.08.2016 को 223.600 किग्रा. चीनी का इन्द्राज किया हुआ है। परन्तु इस संबंध में कोई भी दस्तावेज यथा स्टॉक रजिस्टर उपलब्ध नहीं कराया गया। दौराने जांच अप्रार्थी ने जांच दल को बताया कि समिति का पूर्व स्टॉक रजिस्टर एस.डी.एम. कार्यालय में ऑडिट के लिए गया हुआ है। उक्त स्टॉक रजिस्टर एवं एस.डी.एम. कार्यालय का ऑडिट ऑर्डर अप्रार्थी/अधिवक्ता द्वारा आज दिनांक तक न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया। मौके पर व आज तक अप्रार्थी द्वारा भौतिक सत्यापन में अधिक मिली चीनी के संबंध में कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए ना ही कोई संतोषप्रद जवाब दिया। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा जब्त 223.850 किग्रा. चीनी मय बारदाना को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त वस्तुओं का विधिवत अन्तिम निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28/08/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।

Office of the Addl. Collector & Addl. District Magistrate JAIPUR